GCMS No.
2025/101

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम

प्रार्थी

सुनील चौधरी पुत्र परसाराम
जाति–जाट,निवासी–कसनाउ कलां
बावडी बहैसियम खास मुखित्यार
सलीम पुत्र अल्ला बेली
जाति–मुसलमान कुरैशी
निवासी–व्यापारियों का
बास,भोपलगढ़

बनाम

अप्रार्थी

1–राजस्थान सरकार
जरिऐ लोक अभियोजक,
नागौर
2–जिला रसद अधिकारी
जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
नागौर

किस्म मुकदमा रसद मामला प्रार्थना पत्र 92 संख्या... सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.04.2025	वकील प्रार्थी श्री डूंगरराम चौधरी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बीएनएसएस,2023 एवं सपठित धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 पुलिस थाना सदर नागौर में दर्जएफ.आई.आर. नम्बर 39/2025 में जब्त किया है मामले की ट्रायल में लम्बा समय लगने की पूर्ण सम्भावना होने से उक्त वाहन सुपुर्दगी नामा व जमानत नामा पर सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है । वकील प्रार्थी व प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन.) जिला रसद कार्यालय, नागौर की सुनवाई की गयी । मामले में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बीएनएसएस,2023 एवं सपठित धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संलग्नक कागजात की प्रतियां लोक अभियोजक,नागौर को उक्त वाहन के संबध में पुलिस थाना सदर नागौर की केश डायरी व जांच रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.04.2025 को प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे पत्रावली आईन्दा कार्यवाही हेतु दिनांक 21.04.2025 को पेश हो । जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर नागौर	
21/04/25	वकील प्रार्थी एवं गैर सायल उप0। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महो0 प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 22/04/2025 को पेश हो।	

22/04/2025 वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उप०। थानाधिकारी की रिपोर्ट शा०पि० की गई। मूल प्रकरण की पत्रावली मे दर्ज हो चुकी है। पत्रावली मूल प्रकरण की पत्रावली के साथ दिनांक 02/05/2025 को पेश हो।

कलक्टर नागौर

02/05/2025 वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उप०। मूल प्रकरण निर्णित हो चुका है, इसलिए इस पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से यह प्रार्थना-पत्र पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही मूल प्रकरण की पत्रावली के साथ संलग्न की जावें।

कलक्टर नागौर